<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :— एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 80/2018 (उदयपुर डिक्री)</u>

उदा पिता गेबा डांगी, निवासी बागथल, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................ अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. रामशंकर पिता कालूलाल जोशी, निवासी मोड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. कन्ना पिता गेबा डांगी, नि. बागथल, तह. वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा—223 राजस्थान
काश्त. अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 22.05.2018, प्रकरण सं.4/18

———/———

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u> 1— श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 07—09—2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सियाखेड़ी में आराजी नंबर 393/02 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 394 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 53 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में कना, उदा पिता गेवा डांगी के नाम दर्ज है एवं दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा है। उदा ने अपने 1/2 हिस्से में से 6 बीघा भूमि जिसके पड़ोस वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित है, का रजिस्टर्ड विक्रय वादी रामशंकर के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिसका इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 581 दिनांक 05—07—2013 में किया हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:18 IST
Reason: SelfAttested

है। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से एवं कब्जे की भूमि वादी के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज करायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2018 से वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 22–05–2018 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 24–07–2018 को हुई। जानकारी होते ही नकले निकलवाकर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है एवं एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है। अंतिम डिक्री में जो हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट के रखा गया है उस पर उसका कब्जा नहीं है, न ही उसके द्वारा वह भूमि क्रय की गयी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 393/02 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 394 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 53 बीघा 13 में कना, उदा पिता गेवा डांगी के नाम दर्ज होकर दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा इस भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार उदा द्वारा 6 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय, जिसके पड़ोस विक्रय पत्र में अंकित किये हैं, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना प्रकट होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ए.डी. पर अपीलान्ट उदा के हस्ताक्षर हैं, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ही निर्णय पारित करते हुए डिक्री जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 07–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:18 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

| | | |
|---|---|---|
| **उदा पिता गेबा डांगी, निवासी बागथल,तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर** | बनाम | **रामशंकर पिता कालूलाल जोशी, निवासी मोड़ी, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य** |

अपील नं.....**80 / 18**.....व नाराजगी डिगरी अदालत.....**उपखण्ड अधिकारी** ..... **वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**05**.....**2018**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**09**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री भूरालाल डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–05–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**09**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील..... | | |
| मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:18 IST
Reason: SelfAttested